फुड पार्क योजनाः–इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से आधारभूत संरचना यथा साईट डेवलेपमेंट, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, टेलिकाम्निकेशन, कॉमन फेसिलिटी सेंटर, क्वालिटी टेस्टिंग, लेबोरेटरी, कोल्डस्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटी, आदि का विकास करने परियोजना के महत्वूपर्ण अवयव सेंट्रल प्रोसेसिंग हव, प्राईमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, कोल्ड चैन नेटवर्क, इंजिनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन सुपरभिजन कन्सलटेन्सी एवं कैपेसिटी बिल्डिंग इत्यादि स्थापित करने का प्रावधान किया गया।

फुड पार्क की स्थापना स्पेशल परपस भेकल्स (एस0पी0भी0) के माध्यम से, कंपनी एक्ट के अंतर्गत निबंधित किये जाने का प्रावधान किया गया। निजी निवेशकों का अंशदान कम–से–कम 51 प्रतिशत एवं शेष आवश्यकता अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के होने का प्रावधान किया गया। पूर्व में एस0पी0भी0 को परियोजना लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 15 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार से देय होने का प्रावधान किया गया। परियोजना की स्वीकति दो स्टेज में होने का प्रावधान रखा गया। सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं अंतिम स्वीकृति, सैद्धान्तिक स्वीकृति के छः माह के अन्दर अंतिम स्वीकृति प्राप्त किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा चार चरणों में ट्रस्ट एण्ड रिटेशन एकाउन्ट (टी0आर0ए0) के माध्यम से अनुदान विमुक्त करने का प्रावधान किया गया।

इसमें अनुदान विमुक्ति तथा नो–लियन एकाउन्ट के कार्यान्वयन के लिये भी अलग से प्रक्रिया निर्धारित की गई, जिसके फलस्वरूप फुड पार्क योजना के तहत बक्सर जिला के नावानगर में एक फूड पार्क विकसित करने पर कार्य चल रहा है। यह फूड पार्क एक स्पेशल परपस व्हैकिल यथा– मम्स मेगा फुड पार्क प्रा0 लि0 के द्वारा विकसित किया जा रहा है। राज्य निवेश परिषद से इसकी स्वीकृति 26 मार्च 2012 को प्राप्त हो गयी है, जिसमें रू0 75.33 करोड़ का निवेश सन्निहित है, जबकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार रू0 147 करोड़ का निवेश संभावित होगा। 33 एकड़ जमीन का हस्तानान्तरण इसमें हो चुका है तथा इसमें दो इंडिभिजुयल इकाईयों की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। इस फुड पार्क में इंडिभिजुयल यूनिट के अतिरिक्त कॉमन फैसिलिटी सेन्टर ड्राई वेयर हाउस, Soil Testing unit इत्यादि भी स्थापित होना है।

इस योजना के अर्न्तगत मॉडर्न मेगा राइस मिल कार्न ग्रीट कार्न फ्लैक्स फुड पल्प फ्रुट जुस, कोल्ड सटोरेज राइस हस्क वेस्ड पावर प्लांट और सोलर पावर एक आधारित इकाईयो का इस पर्ल में स्थापना की सहमति की गई है। संशोधित योजना में यह प्रस्ताव है कि परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 50 करोड़ का अनुदान दिया जायेगा, लेकिन एस0पी0भी0 द्वारा अपने सदस्यों के अतिरिक्त कम से कम 50 प्रतिशत भूखंड वैसे इकाईयों को दी जायेगी जो एस0पी0भी0 के सदस्य नहीं हैं। फूड पार्क के लिए न्यूनतम भूमि 25 एकड़ रहेगी। फूड पार्क स्थापित करने वाले उद्यमी को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 के तहत सभी सुाविधाएँ देय होगी। एस0पी0भी0 के प्रमोटर्स में 51 प्रतिशत मूल अंशधारक कम से कम 5 वर्ष तक बने रहेंगें। उनके द्वारा भूखंड लीज होल्ड पर दी जायेगी।